

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/8/19 पार्थी अधिवक्ता को अपात्रीगण के जोरिस पुनः पेश करने के पत्रादि अवसर दिए गए लेकिन पार्थी अधिवक्ता द्वारा जोरिस पेश नहीं किए गए। न्यायालय के दौरान बार-बार रोक-रुक कर पार्थी अधिवक्ता को आवाजे लगवाई गई लेकिन पार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पार्थी पार्थीगण पत्र को आगे चलाने में रूचि नहीं रखता है। अतः पार्थीगण पत्र 212 RJA को अदालत पेशी अदालत दफ्तरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलें शुभ्रा ~~सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक~~
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

दोहरा नंबर से एक नमूने दोहरा मुलवा
पत्रावली के साथ नली हो

सहायक कलक्टर एवं कायपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी